289

संख्या : /I(2)/2013-05-90/TC/2008

प्रेषक :

डा0 एस0 एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
यूजेविएन लि0,
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ
उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक, 20 फरवरी, 2012

विषय : छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में शासनादेश सं0–632/1/2009–05–90/टीसी/2008, दि0 02 मार्च, 2009 एवं शासनादेश सं0–430/1(2)/2009–05–90/टीसी/2008, दि0 19 मार्च, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भांति दि0–01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उक्त वर्णित शासनादेशों के कमशः प्रस्तर सं0–7 एवम् 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त तीनों निगमों के कार्मिकों के लिये शासनादेश सं0–1658/1(2)/2009–05–90/टीसी/2008 दि0–27 अक्टूबर, 2009 द्वारा सुनिश्चित कैरियर स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था दि0–01 अप्रैल, 2009 से राज्य कर्मचारियों की भांति वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश सं0–75/XXII(7)ए0सी0पी0, दि0 28 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य की गयी है।

3– उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों की भॉति 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की तर्ज पर समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था उत्तराखण्ड के ऊर्जा के तीनों निगमों क्रमशः उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कार्मिकों को भी अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी आपके पत्र सं0–9770 दि0–10 जनवरी, 2013 एवम् उसके संलग्नकों के अनुक्रम में पत्र सं0–777–नि0(मा0सं0)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान दि0–23 जनवरी, 2013, पत्र सं0–178/यूजेविनि लि0/प्र0नि0/शासन–6(डी) दि0–23 जनवरी, 2013 एवं पत्र सं0–113/मा0सं0 एवं प्र0अनु/पिटकुल

कमशः.....2.....

/पी–3 दि0–23 जनवरी, 2013 में आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्मिकों की संख्या एवम् वित्तीय–भार की सीमा को दृष्टिगत रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों निगमों के कार्मिकों के लिये सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था दि0–01 अप्रैल, 2009 से 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी एतद विषयक शासनादेशों की अनुरूपता में अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

4– संवर्गों की पदोन्नति/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार प्रकिया तीनों निगमों द्वारा तैयार कर शासन को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या : 211-/I(2)/2013-05-90/TC/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, उरेडा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।